सैक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंसेंस एंड पेंशन व अन्य

बनाम

टी.वी.एल.एन. मल्लिकार्जुना राव

(सिविल अपील संख्या 10862/2014)

9 दिसंबर, 2014

[सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और प्रफुल्ल सी. पेंट, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानून- इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के पद- पदों का पुनर्गठन- डेटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) ग्रेड ए से ग्रेड डी- डीईओ ग्रेड ए जो अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर डीईओ ग्रेड बी में नियुक्ति चाहते हैं - अभिनिर्धारित : ग्रेड बी एक पदोन्नति ग्रेड है और केवल वे डीईओ ग्रेड ए जिनके पास 6 साल का अनुभव है, ऐसे प्रमोशन के लिए पात्र हैं- प्रमोशनल ग्रेड और एंट्री ग्रेड में समान वेतनमान नहीं हो सकता है और घोषणा के अभाव में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के वेतनमान का युक्तिकरण अवैध था, ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता- डीईओएस ग्रेड- ए ग्रेड बी पर लागू उच्च वेतनमान के हकदार 1.1.1986 या उसके बाद से नहीं हैं, केवल उनकी योग्यता के आधार पर या इस तथ्य के लिए कि उन्होंने अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी कर ली है।

प्रशासनिक कानून- पदों का वर्गीकरण और वेतन संरचना का निर्धारण- हस्तक्षेप का दायरा- पर चर्चा की गई।

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14- शैक्षणिक योग्यता, कार्य की प्रकृति, जिम्मेदारी, जवाबदेही, योग्यता, अनुभव और भर्ती के तरीके के आधार पर वेतनमान में अंतर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है- वर्तमान मामले में, डीईओ के विभिन्न संकायों में निर्धारित कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और जवाबदेही की

प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न ग्रेडों में डीईओ का वर्गीकरण अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत समानता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं है- सेवा कानून

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया : 1. पदों का वर्गीकरण और वेतन संरचना का निर्धारण कार्यपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है और न्यायाधिकरण किसी विशेष सेवा में कुछ वेतन संरचना और ग्रेड निर्धारित करने में कार्यपालिका की बुद्धिमत्ता के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है। किसी विशेष सेवा में एक से अधिक ग्रेड हो सकते हैं। सरकार ने समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, दिनांक 11.9.1989 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए अलग-अलग वेतनमान और अलग-अलग ग्रेड निर्धारित करने के अलावा प्रत्येक एंट्री ग्रेड पद के लिए भर्ती के तरीके और योग्यता के साथ-साथ प्रमोशनल ग्रेड के लिए पात्रता और अनुभव भी निर्धारित किया जाएगा। यदि न्यायालय या न्यायाधिकरण, वेतन संरचना निर्धारित करने के मामले में कार्यपालिका के निर्णय पर अपील करता है, तो यह न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को पार कर जाएगा, जब तक कि इसे भारतके संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं दिखाया जाता है। शैक्षणिक योग्यता, कार्य की प्रकृति, जिम्मेदारी, जवाबदेही, योग्यता, अनुभव और भर्ती के तरीके के आधार पर वेतनमान में अंतर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। [पैरा 26,27][169-बी-एफ]

2. कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11.9.1989 के अंतर्गत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड-बी के पदों पर नियुक्ति के नियमों एवं कर्तव्य निर्धारण आदेश को ध्यान में रखते हुए, डाटा एंट्री ऑपरेटरों का विभिन्न ग्रेड में वर्गीकरण,संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करता है और न ही शत्रुतापूर्ण या मनमाने भेदभाव के

खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन करता है। इसलिए, डेटा एंट्री ऑपरेटरों के प्रवेश ग्रेड और 'अगले उच्च ग्रेड' की वेतन संरचनाओं में अंतर पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। इन मामलों में, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे कि पदों के युक्तिकरण से पहले, यानी 1986 से पहले ऑपरेटरों के दो ग्रेड अस्तित्व में थे, 260-400 रुपये के पैमाने पर जूनियर की पंच ऑपरेटर और 350- 560 रुपये के पैमाने पर सीनियर की पंच ऑपरेटर। इन पदों के वेतनमान को दिनांक 1.1.1986 से 950-1500 और 1200-2040 क्रमश: संशोधित कर दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के पुनर्गठन के मद्देनजर की पंच ऑपरेटरों और अन्य पदों, जिनका वेतनमान 260-400 रुपये से कम था, को संशोधित कर 950-1500 रुपये कर दिया गया। उनके पदों को डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-ए के रूप में फिर से नामित किया गया, रूपये 1150-1500 के स्केल में अन्य संशोधन के लाभ के साथ । वास्तव में उन्हें 1.1.1986 से दोहरा लाभ दिया गया यानि कि 950-1500 रुपये के वेतनमान में एक संशोधन, क्योंकि वे वेतन संशोधन समिति की सिफारिश के अनुसार हकदार थे और दूसरा संशोधन रूपये 1150-1500 के वेतनमान के लिये 1.1.1986 से प्रभावी था इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर, जिसे भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11.9.1989 द्वारा स्वीकार कर लिया था। यह केवल वे वरिष्ठ की पंच ऑपरेटर हैं जो स्नातक की योग्यता रखते हुए 350-560 रुपये के उच्च वेतनमान में थे और जिनका वेतनमान 1200-2040 पर दिनांक 1.1.1986 से प्रभावी रूप से संशोधित किया गया था। इस बात की परवाह किए बिना कि कैट की अलग-अलग पीठो ने अलग-अलग डेटा एंट्री ऑपरेटरों यानी ग्रेड-ए या ग्रेड-बी के एक या अन्य पदों की नौकरी, जिम्मेदारी, जवाबदेही और स्थिति और कार्य की प्रकृति पर चर्चा किए बिना यह माना कि वे समान कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और हैं, इसलिए समान वेतन के हकदार हैं और समान कार्य के लिए समान वेतन के

सिद्धांत पर रूपये 1350-2200 के वेतमान के पात्र हैं। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे कि रूपये 1350-2200 रुपये के वेतनमान में डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-बी एक प्रमोशनल ग्रेड है और केवल छह साल का अनुभव रखने वाले लोग ही इस तरह के प्रमोशन के लिए पात्र हैं। प्रमोशनल ग्रेड और एंट्री ग्रेड में समान वेतनमान नहीं हो सकता है और इस घोषणा के अभाव में कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11.9.1979 द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के वेतनमान का युक्तिकरण अवैध है, ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता था। [पैरा 28][169-एच; 170-ए-एच; 171-ए-डी]

मेवा राम कनौजिया बनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अन्य (1989) 2 एससीसी 235: 1989 (1) एससीआर 957; श्याम बाबू वर्मा एवं अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य। (1994) 2 एससीसी 521: 1994 (1) एससीआर 700- भरोसा व्यक्त किया गया

प्रकरण कानून संदर्भ:

1989 (1) एससीआर 957 भरोसा व्यक्त किया पैरा 29

1994 (1) एससीआर 700 भरोसा व्यक्त किया पैरा 30

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 10862/2014

रिट याचिका संख्या 3195 /2000 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.10.2009 से।

मय

सी. ए. नं. 10863-10864, 10865, 10866 और 10867/2014

मुकुल रोहतगी, ए.जी., तुषार मेहता, एएसजी, श्रीमती इंद्रा साहनी, वसीम क़ादरी, राजीव नंदा, सुश्री सुषमा सूरी, श्रीमती अनिल कटियार, सूर्य कांत, बी. कृष्णा प्रसाद, अपीलकर्ताओं के लिए

एम. एन. कृष्णमणि, वरिष्ठ अधिवक्ता, नितिन एस. तम्बवेकर, बी. एस. साई, के. राजीव, जी. रामकृष्ण प्रसाद, रमेश के. मिश्रा, गोविंद जी, प्रशांत भूषण, श्रीमती गीता कोविलन, पी. आर. कोविलन, अनुप जैन, एस. के. वर्मा, एम. पी. दीक्षित, अभिषेक विकास, प्रतिवादी की ओर से

न्यायालय का निर्णय सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। विलंब क्षमा किया गया। अनुमति प्रदान की गई।

2. प्रतिवादीगण जो भारत संघ के मंत्रालयों में विभिन्न विभागों में डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' के रूप में तैनात थे, उन्होंने 1 जनवरी से 1986 से 1350-2200 रुपये के वेतनमान देने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किया था। न्यायाधिकरण ने आवेदनों को स्वीकार किया । न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेशों की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि इन अपीलों में चुनौती दी जा रही है।

3. मामले से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं:

भारत सरकार के मंत्रालयों के विभिन्न विभागों में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के कई पद सृजित किए गए। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों पर व्यक्तियों को अलग-अलग नामकरण जैसे की-पंच ऑपरेटर, पंच सत्यापन ऑपरेटर, योजना सहायक, पंच-सह-सत्यापनकर्ता, तकनीकी सहायक, पंच-सह-सत्यापनकर्ता (हॉलेरिथ), आदि के साथ नियुक्त किया गया था।

4. चौथे केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ 11.45 में एक सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को मामले की जांच करनी चाहिए और मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के पुनर्गठन का सुझाव देना चाहिए और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से एक समान वेतनमान और पदनाम निर्धारित करना चाहिए। उपरोक्त सुझाव के अनुसरण में, नवंबर, 1986 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। बाद में उक्त समिति, द्वारा द्वारा की गई सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए, भारत सरकार ने मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के लिए वेतन संरचना शुरू करने का निर्णय जरिये ओएम नंबर एफ.7(1)/आईसी/86(44) दिनांक 11 सितंबर, 1989 लिया है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

नं.एफ.7(1)/आईसी/86(44)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

कार्यान्वयन कक्ष

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर:89

कार्यालय ज्ञापन

विषय: इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के वेतनमान का युक्तिकरण:

अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट के पैराग्राफ 11.45 में निहित चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक विभाग को कार्मिक विभाग के साथ मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक डेटा

प्रोसेसिंग पदों के पुनर्गठन की जांच और सुझाव देना चाहिए और परामर्श में समान वेतनमान और पदनाम निर्धारित करना चाहिए। उपरोक्त सुझाव के अनुसरण में, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा नवंबर, 1986 में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के लिए निम्नलिखित वेतन संरचना शुरू करने का निर्णय लिया है:-

क्रम संख्या	पद का पदनाम	वेतनमान	
1.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए	1150-1500	डेटा एंट्री कार्य के ज्ञान के साथ यह हायर सेकेंडरी के लिए प्रवेश ग्रेड होगा।
2.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी'	1350-2200	डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' के लिए प्रमोशनल ग्रेड के डेटा एंट्री कार्य के ज्ञान के साथ स्नातक के लिए यह प्रवेश ग्रेड

			होगा।
3.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'सी'	1400-2300	पदोन्नति ग्रेड
4.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'डी'	1600-2660	पदोन्नति ग्रेड
5.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ई	2000-3500	पदोन्नति ग्रेड
डाटा प्रोसेसिंग/प्रोग्रामिंग स्टाफ			
1.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड 'ए'	1600-2260	कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट वाले स्नातकों के लिए प्रवेश ग्रेड।
2.	डाटा प्रोसेसिंग	2000-3200	पदोन्नति ग्रेड

	असिस्टेंट ग्रेड 'बी'		
3.	प्रोग्रामर	2375-3500	इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों या विज्ञान/गणित आदि में स्नातकोत्तर या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर या डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड 'बी' से पदोन्नति द्वारा सीधे प्रवेश।
4.	वरिष्ठ प्रोग्रामर	3000-4500	पदोन्नति ग्रेड

2. सभी मंत्री/विभाग जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पद हैं, वे अपने पदों के पदनाम, वेतनमान और भर्ती योग्यता की समीक्षा करेंगे और उपरोक्त पैरा 1 में दर्शाए गए वेतन ढांचे के अनुसार आवश्यक सीमा तक अपने वित्तीय सलाहकार के परामर्श से इसे संशोधित करेंगे। जहां मौजूदा पद के वेतनमान को संशोधित करना आवश्यक पाया जाएगा, संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी और अधिसूचना और आदेश की प्रति कार्यान्वयन सेल और व्यय विभाग को

भेजी जाएगी। संशोधित वेतनमान संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगा

3. यदि उपरोक्त समीक्षा के परिणामस्वरूप, किसी पद के वेतनमान में बदलाव होता है तो मौजूदा पदधारियों का वेतन एफआर 22(ए)(ii) के साथ पठित मौलिक नियम 23 के अनुसार तय किया जाएगा।

4. उपरोक्त पैरा 2 में सुझाई गई समीक्षा केवल मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के संदर्भ में की जाएगी और सभी मंत्रालयों/विभागों में सभी ग्रेड बनाना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि यह उपयोगकर्ता विभाग की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। यदि मंत्रालय/विभाग कोई ऐसा ग्रेड बनाने का प्रस्ताव करता है जो वर्तमान में मौजूद नहीं है तो यह वित्तीय सलाहकारों के अनुमोदन से और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन किया जाएगा।

5. उपरोक्त पैरा 1 में प्रत्येक ग्रेड के सामने दर्शाई गई योग्यताएं आदि केवल उदाहरणात्मक हैं और विभाग/मंत्रालय उनके द्वारा पहले से निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार मौजूदा ईडीपी पदों की समीक्षा करेंगे। ईडीपी पदों के लिए भर्ती नियमों के संबंध में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से मॉडल भर्ती नियम तैयार करने का अनुरोध किया जा रहा है, जिन्हें मंत्रालय/विभाग द्वारा अपनाया जा सकता है।

5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक एबी 14017/75/89-स्था. (आरआर) दिनांक 13 फरवरी, 1990 द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग अनुशासन में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए मॉडल भर्ती नियमों की एक प्रति भेजी। मॉडल भर्ती नियम व्यय विभाग के ओ.एम. क्रमांक एफ.7(1)/आईसी/86(44) दिनांक 11 सितंबर, 1989 में निहित

सुझावों पर आधारित हैं। उक्त मॉडल भर्ती नियमों में वेतनमान और योग्यता के साथ डेटा एंट्री ऑपरेटरों के निम्नलिखित ग्रेड दिखाए गए थे:

क्र.सं.	पद का पदनाम	वेतनमान	
1.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए'	रूपये 1150-2500-1500	डेटा एंट्री कार्य के ज्ञान के साथ यह हायर सेकेंडरी के लिए सीधी भर्ती हेतु प्रवेश ग्रेड होगा।
2.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी'	रूपये 1350-30-1440- इबी-50-2200	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' के लिए प्रमोशनल ग्रेड के डाटा एंट्री कार्य के ज्ञान के साथ स्नातक के लिए यह प्रवेश ग्रेड होगा, ऐसा न करने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण

			और सीधी भर्ती द्वारा प्रतिशत होगा।
3.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'सी'	रूपये 1400-40-1800-ईबी-50-2300	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' से प्रमोशनल ग्रेड, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण
4.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'डी'	रु.1600- 50-2300- ईबी-60-2660	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी से प्रमोशनल ग्रेड जो प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा आता है।
5.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड 'ए'	रु.1600- 50-2300- ईबी-60-2660	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या विज्ञान के समकक्ष गणित,

			अर्थशास्त्र. व्यापार, सांख्यिकी. सीधी भर्ती हेतु।

6. भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व विभाग से क्षेत्र का डाटा प्रोसेसिंग अनुशासन इलेक्ट्रॉनिक में समूह 'सी' (तकनीकी) पदों पर भर्ती की विधि को विनियमित करने वाला एक नियम जारी किया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का गठन, जिसे आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, अनुशासन (समूह 'सी' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1992 के रूप में जाना जाता है, 3 अप्रैल, 1992 को अधिसूचित किया गया। जिसमें वेतनमान, नियुक्ति की योग्यता, भर्ती का स्रोत, आदि निम्नानुसार दर्शाए गए थे:

क्र.सं.	पद का पदनाम	वेतनमान	
1.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए	1150-25- 1500 रूपये	डेटा एंट्री कार्य के ज्ञान के साथ यह हायर सेकेंडरी के लिए प्रवेश ग्रेड होगा। सीधी भर्ती.
2.	डाटा प्रविष्टि ऑपरेटर ग्रेड 'बी	रु. 1350-30-1440-40-1800-	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए

		ईबी-50-2200	प्रमोशनल ग्रेड के डाटा एंट्री कार्य के ज्ञान के साथ स्नातक के लिए यह प्रवेश ग्रेड होगा, ऐसा न करने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण और सीधी भर्ती द्वारा प्रतिशत दिया जाएगा।
3.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'सी'	रूपये 1400-40-1800-इबी-50-2300	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' से प्रमोशनल ग्रेस, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण।
4.	डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'डी'	रु. 1600-50-2300-ईबी-60-2660	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी से प्रमोशनल ग्रेड, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण।

5.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड ए	रु. 1600-50-2300-ईबी-60-2660	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र में समकक्ष। वाणिज्य, सांख्यिकी. सीधी भर्ती।

7. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में, गैर-मंत्रालयी समूह 'सी' पदों, अर्थात् कर्मचारी चयन आयोग (गैर तकनीकी सहायक (हॉलेरिथ) और पंचर-सह-सत्यापनकर्ता (हॉलेरिथ) के मंत्रिस्तरीय, समूह 'सी' पद भर्ती नियम 1978) के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत एक नियम पहले से ही मौजूद था। उपरोक्त नियम, 1978 को कर्मचारी चयन आयोग (इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग समूह 'सी' पदों डाटा एंट्री अनुशासन) भर्ती नियम, 1996 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। इसे 10 अक्टूबर 1996 को अधिसूचित किया गया था। उक्त नियमों में फिर से समान वेतनमान, योग्यता, भर्ती की विधि आदि दर्शाए गए थे जो इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	पद का पदनाम	वेतनमान	
1.	डाटा प्रविष्टि ऑपरेटर ग्रेड 'ए'	1150-25- 1500 रु	दिनांक प्रविष्टि कार्य के ज्ञान के

			साथ यह उच्चतर माध्यमिक के लिए प्रवेश ग्रेड होगा। सीधी भर्ती।
2.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी	रु.1350-30-1440-40- 1800-ईबी-50- 2200	स्नातक के लिए यह प्रवेश ग्रेड होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए प्रमोशनल ग्रेड के डाटा एंट्री कार्य के ज्ञान के साथ 6 साल की नियमित सेवा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण। और सीधी भर्ती द्वारा प्रतिशत।
3.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी	रु.1400-40-1800-ईबी-50-2300	3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ ग्रेड बी से पदोन्नति ग्रेड, अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण

4.		1600-50- 2300-ईबी-60- 2660 रुपये	
4.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डी	रु. 1600-50-2300-ईबी-60-2660	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी से प्रमोशनल ग्रेड, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण।
5.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड 'ए	रु. 1600-50-2300-ईबी-60-2660	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या गणित, विज्ञान के समकक्ष। अर्थशास्त्र. वाणिज्य, स्टेटिस्टीक। सीधी भर्ती.

8. कार्यालय ज्ञापन और नियमों से, जैसा कि ऊपर देखा गया है, निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:

(1) चौथे केंद्रीय वेतन आयोग (रिपोर्ट के पैराग्राफ 11.45) की सिफारिशों के मद्देनजर, भारत सरकार ने डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के मौजूदा विभाग के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया, जो वेतमान 950-1150 रुपये में थे।

(।।) उपरोक्त सुझावों के अनुसरण में दिनांक 11 सितंबर, 1989 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा भारत सरकार ने अलग-अलग नामकरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के लिए वेतन संरचना शुरू करने का निर्णय लिया है: (i) डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' - रु 1150-1500 डेटा एंट्री कार्य के ज्ञान के साथ हायर सेकेंडरी के लिए प्रवेश ग्रेड के साथ; (ii) डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी'- डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' का पदोन्नति पद है, इसी प्रकार डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'सी' डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' का पदोन्नति पद है और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'डी', डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'सी' का का पदोन्नति पद है और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ई' डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'डी' का प्रमोशनल पद है।

ऐसी पदोन्नति के लिए, व्यक्ति को न केवल योग्य होना आवश्यक है, बल्कि उच्च पद पर पदोन्नति के लिए निचले ग्रेड में अनुभव की शर्त भी पूरी करनी होगी।

9. 1350-2200 रुपये के वेतनमान में डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' के उच्च पद और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'सी' और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'डी' के उच्च पद कर्मचारी चयन समिति की अनुशंसा पर पदोन्नति द्वारा भरे जा सकते हैं। योग्यता और अनुभव रखने वाला व्यक्ति उच्च पद पर पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता, उसकी पदोन्नति की बारी तब आती है जब कोई रिक्ति निकलती है या कार्रवाई का कारण बनता है।

10. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष मामले-

डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के वेतनमान के युक्तिकरण के बाद, ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो 950-1500 रुपये के वेतनमान में की-पंच ऑपरेटर के निचले पदों पर काम कर रहे थे और उन्हें पुनः नामित किया गया। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' के रूप में, उन्होंने दावा किया कि वे 1350-2200 रुपये के वेतनमान के हकदार हैं। विभिन्न राज्यों में स्थित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पीठों ने विरोधाभासी आदेश पारित किए। कई मामलों में डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' के रूप में नामित लोगों को 1350-2200 रुपये के वेतनमान की अनुमति देकर राहत दी गई, जबकि कुछ दावे भी खारिज कर दिए गए। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

(1) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कटक पीठ, उड़ीसा ने ओए नंबर 249/1991 में डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' को 1350-2200 रुपये का वेतनमान दिया था। इसके विरुद्ध दायर एसएलपी 15 मई, 1994 को सरसरी तौर पर खारिज कर दी गई।

(ii) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, अहमदाबाद बेंच, गुजरात में वाई.बी. विष्णु प्रसाद एवं अन्य बनाम यू.ओ.आई. एवं अन्य 1 सितंबर, 1999 के निर्णय द्वारा अधिकारियों को आवेदकों को 1350-2200 रुपये का वेतनमान देने का निर्देश देने वाली प्रार्थना भी स्वीकार कर ली गई।

(iii) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण हैदराबाद पीठ ने ओए नंबर 957/1990 में 10 दिसंबर, 1992 के फैसले द्वारा कर्मचारियों-डेटा एंट्री ऑपरेटरों के पक्ष में लाभ की अनुमति दी।

(iv) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लखनऊ बेंच द्वारा समान राहत दी गई थी।

(v) ओए, जिसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की प्रधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, हालाँकि, खारिज कर दिया गया था।

(vi) उपरोक्त निर्णयों के विरुद्ध भारतीय संघ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई कई याचिकाएँ समय रहते ख़ारिज कर दी गईं।

(vii) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण, जबलपुर खंडपीठ एम.एच. बैग और अन्य बनाम यूओआई और अन्य (ओए संख्या 142 / 95) ने विभिन्न राज्यों के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों के निर्णयों का हवाला देते हुए समान लाभों की अनुमति दी।

11. अपीलकर्ता-भारत संघ, सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत मंत्रालय और पेंशन और अन्य केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयों और आदेशों को इस न्यायालय के ध्यान में लाया:

(I) ओ.ए.नं. 142/1995 में कैट जबलपुर बेंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.1999;

(ii) कैट लखनऊ बेंच द्वारा ओए नंबर 150/2001 में पारित निर्णय दिनांक 01.10.2001;

(iii) कैट मुंबई बेंच द्वारा ओ ए नंबर 737/2002 में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2004;

(iv) कैट मद्रास बेंच द्वारा ओ एस नंबर 352 से 354/2005 में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2006।

12. हालांकि, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मद्रास पीठ ने 7 नवंबर, 2008 के फैसले से ओ ए नंबर..870/2007 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर, 2009

के फैसले में विभिन्न केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का जिक्र किया। पीठों ने प्रतिवादी- टी.वी.एल.एन. मल्लिकार्जुन राव द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी।

13. केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय सरकार के विभाग में कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। रक्षा लेखा महानियंत्रक के कार्यालय ने अपने परिपत्र संख्या सीजीडीए संख्या ईडीपी/113/|| (पीसी)/ खंड 14 दिनांक 4 जनवरी, 2006 द्वारा सूचित किया कि डीईओएस ग्रेड ए और बी का वेतन 1.1.86 से तय किया जाना है या नियुक्ति की तारीख से, जो भी बाद में हो, बकाया राशि तदनुसार निकाली जानी है। उक्त पत्र यह नहीं दर्शाता है कि ऐसा निर्णय भारत संघ द्वारा या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।

14. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष उत्तरदाताओं/आवेदकों का मामला:

प्रतिवादी- टी.वी.एल.एन. मल्लिकार्जुन राव, की-पंच ऑपरेटर्स परीक्षा 1989 के अनुसार, 11 सितंबर, 1989 को की-पंच ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किए गए थे। उन्हें दिनांक 01.12.2019 से डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' के रूप में पुनः नामित किया गया था। 16 नवंबर, 1992. उन्होंने अपनी शिक्षा योग्यता के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' में नियुक्ति की मांग के लिए 11 मार्च, 1994 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और इसे 25 जुलाई, 1994 के पत्र द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' का पद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' का प्रमोशनल पद है। केवल उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कोई भी उच्च पद का दावा नहीं कर सकता।

15. दिनांक 25 जुलाई, 1994 के अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध, प्रतिवादी- टी.वी.एल.एन. मल्लिकार्जुन राव केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष चले गए। उक्त मामले में प्रतिवादी का तर्क यह था कि उसे प्रारंभिक नियुक्ति से ही डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' दिया जाना चाहिए क्योंकि पद के लिए आवेदन करने की तिथि पर वह स्नातक था और ओ.एम. दिनांक 11 सितंबर, 1989 के मद्देनजर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-बी स्नातकों के लिए प्रवेश ग्रेड होगा। मामला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मद्रास बेंच के समक्ष ओ.ए. 870/2007 के रूप में दर्ज किया गया था, जिसे 7 नवंबर, 2008 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा गुणदोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उक्त फैसले के खिलाफ, प्रतिवादी टी.वी.एल.एन. मल्लिकार्जुन राव ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 3195 /2009 दायर की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 14 अक्टूबर, 2009 के आक्षेपित फैसले द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया और अपीलकर्ताओं को 1350-2200 रुपये के वेतनमान का लाभ देने का निर्देश देने वाली रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों के निर्णयों के अनुरूप सभी परिणामी लाभों के साथ प्रतिवादी की प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से प्रभावी करते हुये।

16. प्रतिवादी- एस.डी. भंगाले, एस.एच. पाटिल और आर.पी. जोशी को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध निर्माणी में पंच और सत्यापनकर्ता ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनमें से एक को 20 सितंबर, 1988 को 950-1500 रुपये के वेतनमान पर पंच और सत्यापनकर्ता ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के पुनर्गठन के बाद, उत्तरदाताओं को डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' के रूप में फिर से नामित किया गया था। 10 जून, 1999 को, उत्तरदाताओं को 4500-7000 रुपये के वेतनमान में डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' के पद

पर पदोन्नत किया गया था। 10 जून, 1999. अपनी पदोन्नति के लगभग दो वर्षों के बाद, उत्तरदाताओं-एस.डी. भंगाले और अन्य ने नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से 1350-2200 रुपये का वेतनमान देने के लिए अभ्यावेदन दिया। हालाँकि, ऐसी राहत नहीं मिलने पर, उत्तरदाताओं ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बॉम्बे बेंच के समक्ष ओए नंबर.231 और 240 / 2003 दायर किया और प्रार्थना की कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से पंच और सत्यापनकर्ता संचालक के तौर पर 1350-2200 रुपये के वेतनमान का लाभ बढ़ाया जाए। विरोध पर, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बॉम्बे पीठ ने अपने विस्तृत सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 23 जुलाई, 2004 द्वारा प्रतिवादियों- एस.डी. भंगाले और अन्य द्वारा दायर मूल आवेदनों को खारिज कर दिया। हालाँकि, उक्त आदेश को बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 28 अगस्त, 2009 के आक्षेपित फैसले द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विभिन्न बेंचों द्वारा दिए गए अलग-अलग फैसलों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले में पुष्टि की गई है।

17. प्रतिवादी वी. अंबी, थिरुनावुक्कारासु, ए. सेल्वराज और आर. रवि को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत हेवी अलॉय पेनेट्रेटर प्रोजेक्ट (एचएपीपी) में आकस्मिक आधार पर योजना सहायक के रूप में 16.11.1989, 25.08.1988 और 20.09.1989 20.09.1989 से तत्कालीन वेतनमान 950-1500 रुपये में नियुक्त किया गया था, बाद में उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं। एचएपीपी में उनकी नियुक्ति के समय, यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक संयुक्त उद्यम परियोजना थी और 1990 में एचएपीपी को आयुध निर्माण बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया और उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया गया। 8 नवंबर, 1996 को, रक्षा मंत्रालय ने योजना सहायक को 1150-1500 रुपये के उच्च वेतनमान के साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' में फिर से नामित किया। उपरोक्त उत्तरदाताओं ने ओए नंबर 432 / 1997 में

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मद्रास पीठ के समक्ष आवेदन किया और 11" सितंबर, 1989 से 1600-2660 रुपये के वेतनमान की मांग की। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मद्रास पीठ ने 22 जुलाई, 1999 के आदेश द्वारा उक्त मूल आवेदन को खारिज कर दिया। उत्तरदाताओं ने संयुक्त रूप से ओए नंबर 701 /2009 दायर किया। 3 सितंबर, 2010 के फैसले के अनुसार, ओए संख्या 701/2009 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने इसी तरह के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कुछ निर्देश पारित किए। अपीलकर्ताओं को उत्तरदाताओं को 1350-2200 रुपये का वेतनमान देने का निर्देश दिया गया। व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने एक रिट याचिका संख्या 6342/2011 मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की। 17 मार्च, 2011 के आक्षेपित निर्णय द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।

18. प्रतिवादी-संजय गुरवेकर को 11 जनवरी, 1990 को कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्यालय में आर.950-1500 के वेतनमान में पंचर-सह-सत्यापनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ग्रेड 'ए' के रूप में पुनः नामित किया गया था। उन्होंने इसी तरह की राहत के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बैंगलोर बेंच के समक्ष भी आवेदन किया था। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 12 मार्च, 2010 के आदेश द्वारा ओए संख्या 99/2007 को स्वीकार किया। अपीलकर्ता-भारत संघ द्वारा की गई चुनौती पर, कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आक्षेपति निर्णय दिनांक 22.09.2010 द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया।

19. उत्तरदाताओं-सत्येंद्र प्रसाद और अन्य का मामला भी ऐसा ही है, जिन्हें शुरू में कुछ तकनीकी पदों पर नियुक्त किया गया था और बाद में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ग्रेड 'ए' के रूप में पुनः नामित किया गया था। उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच के समक्ष ओएस संख्या 1104 /2002 दायर करके इसी तरह की राहत की मांग

की। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच ने 29 मई, 2009 के आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं को डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए'डब्ल्यू.ई.एफ. के उत्तरदाताओं के वेतनमान का भुगतान 1.1.1996 से करने का निर्देश यह उल्लेख करते हुए दिया कि बकाया राशि ओ.ए. दायर करने करने से एक वर्ष पहले तक सीमित रहेगा। बिक्री आदेश को अपीलकर्ता-भारत संघ द्वारा पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 22 फरवरी, 2012 के आक्षेपित फैसले द्वारा रिट याचिका सी.डब्ल्यू.जे.सी. नंबर 17230/2009 को खारिज कर दिया।

20. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि 1350-2200 रुपये के वेतनमान के साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' का पद उच्च पद है और उत्तरदाताओं को केवल इस आधार पर उच्च वेतनमान का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे स्नातक हैं और वे समान कर्तव्य निभा रहे थे।

21. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के अनुसार, केंद्र द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के मद्देनजर प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मद्रास बेंच आदि द्वारा उन्हें नियत तिथि से 1350-2200 रुपये का वेतनमान उचित रूप से स्वीकृत किया गया है।

22. उत्तरदाताओं की ओर से आगे यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों के आदेशों को पहले ही लागू कर दिया है, वे उन लोगों और उत्तरदाताओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकते जिन्हें पहले ही लाभ दिया जा चुका है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक-दूसरे निर्णय पर निर्भरता रखी गई, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी।

23. हमने पक्षों के वकील द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

24. 1986 से पहले ऑपरेटरों के दो ग्रेड अस्तित्व में थे। जूनियर की पंच ऑपरेटर 260-400 रुपये के स्केल में और सीनियर की पंच ऑपरेटर 350-560 रुपये के स्केल में। इन सभी पदों का वेतनमान चौथे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 1.1.1986 से संशोधित कर 950-1500 रुपये और 1200-2040 रूपये क्रमश: कर दिया गया। दिनांक 11.9.1989 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इन पदों को क्रमशः 1150-1500 रुपये और 1350-2200 रुपये के पैमाने पर डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड-ए और डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड-बी के रूप में पुनः नामित किया गया जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पोस्ट को पुनर्गठित किया गया है।

25. चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अलग-अलग वेतनमान पर विचार करने की दृष्टि से मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अनुशंसा पर, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11.9.1989 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के लिए निम्नलिखित पुनर्गठन किया:

क्र.सं.	डाटा एंट्री ऑपरेटर पद का पदनाम	वेतनमान	योग्यता/प्रवेश का स्रोत
1.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-ए	1150-1500	डेटा एंट्री कार्य के ज्ञान के साथ उच्चतर माध्यमिक के लिए यह प्रवेश ग्रेड होगा।

2.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-बी	1350-2200	डेटा एंट्री कार्य का ज्ञान रखने वाले स्नातकों के लिए यह प्रवेश ग्रेड होगा-डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-ए के लिए प्रमोशनल ग्रेड

इसके बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत नियम तैयार किए गए हैं। उपरोक्त ज्ञापन और नियमों से यह स्पष्ट है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-ए के लिए योग्यता उच्चतर माध्यमिक है जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-बी के लिए योग्यता स्नातक है और यह डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-ए से व्यक्तियों के लिए एक पदोन्नति पद है, जिन्हे 6 वर्षों का अनुभव है।

26. पदों का वर्गीकरण और वेतन संरचना का निर्धारण कार्यपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है और न्यायाधिकरण किसी विशेष सेवा में कुछ वेतन संरचना और ग्रेड निर्धारित करने में कार्यपालिका की बुद्धिमत्ता के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है। किसी विशेष सेवा में एक से अधिक ग्रेड हो सकते हैं।

27. सरकार ने समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, 11.9.1989 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसमें प्रत्येक प्रवेश ग्रेड पद के लिए भर्ती के तरीके और योग्यता के अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटरों के विभिन्न वेतनमान और विभिन्न ग्रेड

निर्धारित किए गए थे और पदोन्नति ग्रेड के लिए पात्रता और अनुभव के रूप में। हमारी राय में, न्यायालय या न्यायाधिकरण, वेतन संरचना निर्धारित करने के मामले में कार्यपालिका के फैसले पर अपील में बैठता है, तो न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को पार कर जाएगा, जब तक कि इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं दिखाया जाता है।

शैक्षणिक योग्यता, कार्य की प्रकृति, जिम्मेदारी, जवाबदेही, योग्यता, अनुभव और भर्ती के तरीके के आधार पर वेतनमान में अंतर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।

28. कैट, बॉम्बे बेंच के समक्ष दिनांक 8.1.1999 का एक चार्ट प्रस्तुत किया गया था जिसमें कुछ अतिरिक्त कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया था, जिन्हें डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ग्रेड-बी द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ग्रेड-ए के लिए सौंपे गए/निर्धारित कर्तव्यों के अलावा निष्पादित किया जाना था। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11.9.1989 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं पर विचार करते हुये और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड-आर के पदों पर नियुक्ति के नियम और कर्तव्य सौंपने के आदेश के अनुसार, हमारा मानना है कि डाटा एंट्री ऑपरेटरों का वर्गीकरण विभिन्न ग्रेड में नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा गारंटीकृत समानता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन करता है और न ही यह शत्रुतापूर्ण या मनमाने भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन करता है। इसलिए, डेटा एंट्री ऑपरेटरों के प्रवेश ग्रेड और अगले उच्च ग्रेड के वेतन ढांचे में अंतर पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। अधिकांश विवादित आदेशों में कैट बेंच इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के वेतनमान के युक्तिकरण की पृष्ठभूमि पर ध्यान देने में विफल रही थी। इन मामलों में, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों यह नोटिस करने में विफल रहे कि पदों के युक्तिकरण से पहले, यानी 1986 से पहले ऑपरेटरों के दो ग्रेड अस्तित्व में थे, 260-

400 रुपये के वेतरमान पर जूनियर की पंच ऑपरेटर और 350-560 रुपये के वेतनमान पर वरिष्ठ की पंच ऑपरेटर। इन पदों का वेतनमान दिनांक 01.12.2017 से संशोधित कर 1.1.1986 से क्रमशः 950-1500 तथा 1200-2040 रूपये कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के पुनर्गठन के मद्देनजर की पंच ऑपरेटर्स और अन्य पद जिनका वेतनमान 260-400 रुपये से कम था, उन्हें संशोधित कर 950-1500 रुपये कर दिया गया। उनके पदों को 1150-1500 रुपये के स्केल के अन्य संशोधन के लाभ के साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-ए के रूप में फिर से नामित किया गया था।

वास्तव में उन्हें 1.1.1986 से दोहरा लाभ दिया गया यानि कि 950-1500 रुपये के वेतनमान में एक संशोधन, क्योंकि वे वेतन संशोधन समिति की सिफारिश के अनुसार हकदार थे और दूसरा संशोधन रूपये 1150-1500 के वेतनमान के लिये 1.1.1986 से प्रभावी था इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर, जिसे भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11.9.1989 द्वारा स्वीकार कर लिया था। यह केवल वे वरिष्ठ कुंजी पंच ऑपरेटर हैं जो स्नातक की योग्यता रखते हुए 350-560 रुपये के उच्च वेतनमान में थे और जिनका वेतनमान रूपये 1200-2040 1.1.1986 से प्रभावी रूप से संशोधित किया गया था, कैट की विभिन्न पीठों ने नौकरी की प्रकृति, जिम्मेदारी, जवाबदेही और विभिन्न डेटा एंट्री ऑपरेटरों यानी ग्रेड ए और ग्रेड बी के एक या अन्य पदों की स्थिति और रैंक पर चर्चा किए बिना यह माना कि वे समान कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और इसलिए समान वेतन के हकदार हैं और समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर 1350-2200 रुपये के पात्र हैं। ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट दोनों इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे कि 1350-2200 रुपये के वेतनमान में डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-बी एक प्रमोशनल ग्रेड है और केवल छह साल का अनुभव रखने वाले लोग ही इस तरह के प्रमोशन के लिए पात्र हैं। प्रमोशनल ग्रेड और एंट्री ग्रेड में समान वेतनमान नहीं हो सकता है और इस घोषणा के अभाव में

कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11.9.1979 द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पदों के वेतनमान का युक्तिकरण अवैध है, ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता था।

29. न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों भारत के राष्ट्रपति के आदेश दिनांक 3 अप्रैल, 1992 और अधिसूचना दिनांक 10.10.1996 द्वारा जारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, पी.जी. और पेंशन की ओर बनाए गए वैधानिक नियमों पर ध्यान देने में भी विफल रहे।

ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनों ने इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित कानून की अनदेखी करने में गलती की है कि "समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत" हमेशा लागू नहीं होता है, भले ही कर्तव्य और कार्य समान प्रकृति के हों।

मेवा राम कनौजिया बनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य, (1989) 2 एससीसी 235 में इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार निर्णय दिया है:-

"5. "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत के आवेदन के प्रश्न पर विचार करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि राज्य संबंधित पदों की योग्यता, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के आधार पर कर्मचारियों को वर्गीकृत करने के लिए खुला है। यदि वर्गीकरण का प्राप्त किये जाने वाले उददेश्य के साथ उचित संबंध है, प्रशासन में दक्षता, राज्य के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करना उचित होगा, लेकिन यदि वर्गीकरण उचित सांठगांठ की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है और वर्गीकरण अवास्तविक और अनुचित आधार पर स्थापित किया गया है, तो यह संविधान के

अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा । समानता बराबर वालों के बीच होनी चाहिए। असमान समानता का दावा नहीं कर सकता

7. यह मानते हुए भी कि याचिकाकर्ता एक ऑडियोलॉजिस्ट के समान कर्तव्य और कार्य करता है, समान वेतन के उसके दावे को बरकरार रखना पर्याप्त नहीं है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, समान वेतन के प्रयोजनों के लिए काम की समानता का निर्णय करते समय, न केवल कर्तव्यों और कार्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, बल्कि शैक्षिक योग्यता, गुणात्मक अंतर और संबंधित पदों के लिए निर्धारित जिम्मेदारी के उपायों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। भले ही कर्त्तव्य और कार्य समान प्रकृति के हों लेकिन यदि दो पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं अलग-अलग हैं और जिम्मेदारियों के माप में अंतर है, तो "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धांत लागू नहीं होगा...

30. श्याम बाबू वर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (1994) 2 एससीसी 521 में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में इसकी फिर से पुष्टि की गई, जिसमें न्यायालय ने कहा:

9.... काम की प्रकृति कमोबेश एक जैसी हो सकती है लेकिन शैक्षणिक योग्यता या अनुभव के आधार पर वेतनमान भिन्न हो सकता है जो वर्गीकरण को उचित ठहराता है। 'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत यांत्रिक या आकस्मिक तरीके से लागू नहीं किया जाना चाहिए। कार्य के पूर्ण अध्ययन और विश्लेषण के बाद विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा किए गए वर्गीकरण को मजबूत कारणों को छोड़कर परेशान नहीं किया जाना चाहिए जो कि किये गये वर्गीकरण को अनुचित बताते है। विभिन्न समूहों में पुरुषों की असमानता उनके लिए 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत की प्रयोज्यता को बाहर कर देती है। मप्र राज्य बनाम प्रमोद भारतीय 1 इस

न्यायालय द्वारा में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत की जांच की गई है। न्यायालय द्वारा कोई भी निर्देश जारी करने से पहले, दावेदारों को यह स्थापित करना होगा कि वेतन या वेतन के भुगतान के मामले में उनके साथ अलग व्यवहार करने का कोई उचित आधार नहीं था। तभी यह माना जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अर्थ के अंतर्गत भेदभाव हुआ है।"

31. दरअसल श्याम बाबू वर्मा का मामला भी मौजूदा मामले जैसा ही था। उक्त मामले में तीसरे वेतन आयोग ने फार्मासिस्ट ग्रेड-बी को दो श्रेणियों में रखा और दो वेतनमान निर्धारित किए (1) पूरी तरह से योग्य फार्मासिस्ट के लिए जो अधिनियम के तहत उल्लिखित योग्यता रखते हैं और (ii) अयोग्य फार्मासिस्टों के लिए, जो अधिनियम की धारा 31 के खंड (घ) के अंतर्गत आते हैं। उक्त सिफ़ारिश 1.1.1973 से प्रभावी की गई थी। उक्त मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर वे 330-550 रुपये के वेतनमान के हकदार हैं जो अन्य फार्मासिस्टों के लिए वेतनमान है। उक्त मामले में उपरोक्त टिप्पणी करने के बाद इस न्यायालय ने आगे कहा:

"10. वर्तमान मामले के तथ्यों में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है, जब याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत निर्धारित योग्यता के संदर्भ में फार्मासिस्टों की एक अलग श्रेणी से संबंधित हैं। हमारे अनुसार, वहां फार्मासिस्ट ग्रेड-बी की दो श्रेणियों के लिए दो वेतनमान लागू करने के उत्तरदाताओं के निर्णय में मनमानी का कोई तत्व नहीं है। यह इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करने वाले संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

11. हालाँकि हमने माना है कि याचिकाकर्ता तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में केवल 330-480 रुपये के वेतनमान के हकदार थे। 1 जनवरी, 1973 और 10 वर्ष की अवधि के बाद ही वे 330-560 रुपये के वेतनमान के हकदार बन गये, लेकिन चूंकि उनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए उन्हें 1973 से 330-560 रुपये का वेतनमान मिलता रहा है और वह वेतनमान अब तक जारी है। वर्ष 1984 में 1 जनवरी, 1973 से कम कर दी गई, यह केवल उचित और उपयुक्त होगा कि किसी भी अतिरिक्त राशि की वसूली न की जाए जो उन्हें पहले ही भुगतान की जा चुकी है। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि उत्तरदाताओं की गलती के कारण याचिकाकर्ताओं को भुगतान की गई किसी भी अतिरिक्त राशि की वसूली या समायोजन के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए, याचिकाकर्ता इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं।"

32. ऊपर दर्ज निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-ए 1350-2200 रुपये के वेतनमान के लिए 1.1.1986 या उसके बाद से केवल उनकी योग्यता के आधार पर या इस तथ्य के लिए कि उन्होंने अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी कर ली है, पात्र नहीं हैं। हम आगे मानते हैं कि हमारे निर्णय के विपरीत किसी भी न्यायाधिकरण या किसी उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय गलत है। इसके अलावा, ऊपर दर्ज किए गए कारणों और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, जबकि हम मानते हैं कि उत्तरदाता उस लाभ के हकदार नहीं हैं जैसा कि उन्होंने न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष मांगा था, कैट बेंच और उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में पारित किये गये सभी विवादित आदेश अवैध होने के कारण खारिज किये जाते है।

33. अपीलें स्वीकार की जाती हैं। कोई लागत नहीं.

देविका गुजराल

अपीले स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।